5/4/2 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। उप० आज। प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 के विवादित आराजी (ब० नं० 1986/2257 रकबा 2.16 हैक्टेयर) वाके ग्राम पल्लवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) में स्थित है तथा अप्रार्थीगण का विवादित आराजी के किसी भी भाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त आराजी निजपट्टा एवं तरमीमी पट्टे की आराजी है। अप्रार्थीगण बिना अधिकार के निजपट्टे की आराजी में निर्माण करने पर उतारू है। यदि अग्रिम अप्रार्थीगण अपने कब्जा पाने के इरादे से कब्जा पा लेते है तो नापूरी होने वाली क्षति होगी जबकि प्रार्थिनी का तन्दुरुस्त व नापूरी होने वाली हानि बहुत ज्यादा है आदि आदि का विवेचन करते हुए अग्रिम अप्रार्थीगण को दि० ई० दवामी निषेधाज्ञा किये जाने, आराजी के किसी भी भाग पर सम्बन्ध नहीं करने का निर्माण करने का प्रार्थी के उपयोग उपभोग में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का निवेदन रहा।

प्रकरण में तर्क किया जाकर कागज मिसिल तलब की। अप्रार्थीगण का जवाब पेश की गई। मुतल्लिक जवाब पत्रावली पर।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर अहकाम हुक्म

के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की आपत्ति करते हुए विपक्षित आमी ने प्रार्थी का कोई सम्बन्ध होना नहीं होना, डिक्री में खामी का गलत कथन होना, बिना कब्जा डिक्री में कथन किया जाना एवं अपीलान्ट को सन 1975 से काबिज होना दिखाया मकान बने होना आदि-आदि का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी वापिस किये जाने का निवेदन रहा।

वकुलाएकी प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। दोनों पक्ष के वकील प्रार्थी ने अभिकथन किया कि दावा अन्तर्गत धारा 188 हु० डि० का पेश है। विवादित आमी प्रार्थी की आराजी है जो दर्ज राजा-बही है। कब्जे का स्थान खारदारी की आराजी है जो खसरा नम्बर 225, रकबा 1.00 बीघा जमीन की आड़ के इसी जमीन दबाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को देखते हुए न्यायालय ने निर्णय का अभिकथन किया। ठीक इसी प्रकार वकील अपीलान्ट ने जवाब के अभिकथनों को देखते हुए अभिकथन किया कि जमीन सन 1975 में अलाट हुई थी इसी 1975 से काबिज है धारा 188 का लाल कब्जा साबित करने पर मिलता है। जो कब्जा नहीं तो लाल नहीं के बराबर दर्ज वादी ने अभिकथन किया। विपक्षी के वकील प्रार्थी ने अभिकथन किया कि प्रार्थी डिक्री में वारदार है तथा अपीलान्ट को आवश्यकता नहीं है आवश्यकता है इसी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। न्यायालय ने अभिलेख का अवलोकन किया है। न्यायालय ने अभिलेख से देखा है प्रार्थी/प्रार्थी के बिना का [illegible] तथा अपीलान्ट की धारा 14(5) वादी [illegible] आदिक। अभिकथन करते हुए प्रार्थना पत्र निर्णय तक पूर्व देवाधी कन्सीलिक कोर्ट (सम्मुख) किये जाने का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:13
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

वकील उभय पक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 188 यू० डी० एक्ट के बाद पश्चात् व प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार प्रार्थी विवादित भाग की लोक उपयोग हेतु दर्ज किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टया प्रकरण के बिन्दु को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दु वादी प्रार्थी पक्ष की स्थिति में सुविधा का सन्तुलन वाले बिन्दु को भी यह न्यायालय वादी जिला कलक्टर प्रार्थी पाता है वादी प्रार्थी स्वीकार योग्य पाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन वाले दोनों बिन्दु वादी जिला कलक्टर प्रार्थी होकर वादी प्रार्थी स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में नापूर्ति होने वाली क्षति के बिन्दु को भी यह न्यायालय वादी प्रार्थी स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं पूर्व निर्गत 11-2-21 को जारी अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा स्थायी आदेश को मूलदावा के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखा जाता है। पत्रावली निर्णित हुआ ही नहीं है। वादी के कब्जे व कब्जे वाले कमीन सलाह [illegible]

सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:13 IST
Reason: SelfAttested